

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के शोधार्थी शोध ग्रन्थ जमा करने हेतु प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन अधिकतम शोधार्थियों की शोध ग्रन्थ जमा करने की अन्तिम तिथि विश्वविद्यालय में कोविड-19 के कारण अवकाश होने के फलस्वरूप समाप्त हो गयी है। विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं० HNBGU/Academic/2020/169 दिनांक 26.05.2020 के द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 20.05.2020 की मद सं० 07 में जिन शोधार्थियों की कोविड-19 के कारण शोध ग्रन्थ जमा करने की अधिकतम समय सीमा समाप्त हो गयी है उन्हें 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

अतः जिन शोधार्थियों की कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय में लाकडाउन होने के फलस्वरूप क्रमश 04, 05 एवं 06 वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी है, उन्हें विद्या परिषद की बैठक दिनांक 20.05.2020 की मद सं० 07 का लाभ देते हुये प्रत्येक समयावधि में 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने अर्थात् क्रमशः जिन छात्रों को 04 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उन्हें 4½ वर्ष, जिन्हें 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उन्हें 5½ वर्ष, तथा जिन्हें 6 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उन्हें 6½ वर्ष में शोध ग्रन्थ जमा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से
कुलपति महोदया


हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक संख्या :- हे०न०ब०/शैक्षणिक/2020/255

दिनांक:-09.07.2020

प्रतिलिपि :-

1. विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियन्ता।
3. निदेशक टिहरी/पौड़ी परिसर।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
5. निजी सचिव, कुलसचिव।
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।


09.07.2020
प्र०(एन०एस० पंवार)
कुलसचिव